उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या-8/2022/892/63-व0उ0-2202-155(एच)/2017

लखनऊ: दिनांकः 18 अगस्त,2022

अधिसूचनाः-

भारत का संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-236/63-व0उ0-2202-155(एच)/2017 दिनांकः 25 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पॉलिसी-2017 की प्रभावी अवधि दिनांक 13.07.2022 से आगामी 03 माह के लिये विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 8/2022/892 (1)/63-व0उ0-2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
6- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in